पत्रावली आज कैम्प कोर्ट टीटनवाड़ में पेश हुई। ग्राम टीटनवाड़ की सरहद में प्रार्थीगण की खातेदारी भूमि ख.नं. 1543/280 रकबा 0.4700 हे. अवस्थित है उक्त वर्णित भूमि का दिनांक 10.6.2017 को सीमाज्ञान करवाया जा चुका है। प्रार्थीगण उक्त सीमाज्ञान के अनुसार अपनी खातेदारी भूमि की सीमा पर (सीमा चिन्ह) पत्थरगढ़ी करवाना चाहते हैं। उक्त विवेचन के प्रार्थीगण का प्रार्थनापत्र अ. धारा 110, 128 LRA स्वीकार किया जाना उचित व न्यायोचित प्रतीत होता है।

आदेश

प्रार्थना पत्र अ. धारा 110,128 LRA स्वीकार किया जाता है तथा ग्राम टीटनवाड़ की सरहद में स्थित प्रार्थीगण की खातेदारी भूमि ख.नं. 1543/280 रकबा 0.4700 हे. भूमि का सीमाज्ञान दिनांक 10.2.17 के अनुसार भूमि की सीमा पर पत्थरगढ़ी किये जाने का आदेश दिया जाता है। तदनुसार तहसीलदार उदयपुरवाटी नियमानुसार शुल्क जमा कर पत्थरगढ़ी करवावे। सीमाज्ञान दिनांक 10.6.2017 इस आदेश का हिस्सा रहेगा।

पत्रावली फैसलशुमार होकर नम्बर से कम हो तथा बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 7.6.18 को कैम्प कोर्ट टीटनवाड़ में सुनाया गया।

[signature]

उपखण्ड अधिकारी
उदयपुरवाटी (झुन्झुनूं)

Scanned by CamScanner